न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान ममता बनाम मनीराम आदि

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 200 / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रस्तुत पत्रांक एवं दिनांक
25.07.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। केवियट प्रार्थना–पत्र अपील के साथ संलग्न किया गया। धारा 96 सीपीसी के बिन्दू पर सुना गया। अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 11 ने संतोष पत्नी मुंशीराम से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.10.2020 को 1.8404 है0 कृषि भूमि खरीद की है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया जबकि इसी कृषि भूमि के संबंध में अन्य प्रकरण संख्या 138 / 2020 में अपीलाण्ट पक्षकार बन चुका है। अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड बैयनामा है। इस कारण अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 11 ने रेस्पोडेण्ट सं0 7 से उसका हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया है। इसलिए अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट पक्षकार नहीं थी। अपीलाण्ट को यह विधिक राय प्राप्त हुई थी कि वह आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकती है। अपीलाण्ट ने आक्षेपित आदेश की नकल दिनांक 20.07.2023 को प्राप्त कर यह अपील पेश की है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे। अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 11 ने रेस्पोडेण्ट सं0 7 से उसके हिस्से की भूमि दिनांक 09.10.2020 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय है, जिसे 30 दिन के भीतर निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसे निस्तारित नहीं किया अन्य पक्षकारें की तलबी करवाई। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के भाई जीताराम ने भी एकपक्षीय स्थगन ले रखा है। इसकी अपील भी अपीलाण्ट ने आज ही माननीय न्यायायल में पेश की है। प्रकरण सं0 138/2020 में अपीलाण्ट को पक्षकार बनाया गयां। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व जीताराम ने आपस में दुर्भि संधी कर आक्षेपित आदेश प्राप्त किया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट सं0 7 से उसके हिस्सा की भूमि खरीद की है। अपीलाण्ट आक्षेपित आदेश से विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। अतः आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे डीएनजे 2015 (1) राज0 पेज 81, डीएनजे 2021 (2) रेवेन्यू पेज 1381, आरआरटी 2014 (1) पेज 265 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना एकपक्षीय स्थगन पारीत किया है जबकि अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट सं0 7 के हिस्सा की भूमि का क्रेता है। आक्षेपित आदेश में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गई है। आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। उक्त परिस्थियों में अपील अपीलांट स्वीकार की जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश प्रकरण सं0 66/2023 अनवान मनीराम बनाम जीताराम दिनांक 17.04.2023 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण एवं अन्य प्रकरण सं0 138/2020 अनवान जीताराम बनाम संतोष देवी के साथ पक्षकारों को सुनकर 30 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ... 28.7.23 ..... को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़